भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 62
24/07/2026 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की बढ़ती घटनाएँ तथा सरकार द्वारा किए गए उपाय

*62 श्री रामजी लाल सुमनः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं, यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;
(ख) किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाओं को देखते हुए, विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में और अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के कुल मामलों में खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत कितना है तथा क्या इसमें और अधिक वृद्धि दर्ज की गई है; और
(घ) किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाओं को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की बढ़ती घटनाएँ तथा सरकार द्वारा किए गए उपाय' के संबंध में दिनांक 24.07.2026 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 62 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं' (एडीएसआई) नामक प्रकाशन में आत्महत्याओं से संबंधित जानकारी संकलित और प्रसारित करता है। वर्ष 2024 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है।

कृषि राज्य का विषय है। भारत सरकार देश भर में उत्पादन, उत्पादकता, किसानों की आय आदि बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। इन योजनाओं में कृषि के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जिनमें ऋण, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलें (बागवानी सहित), बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, डिजिटल कृषि और फसलों की खरीद शामिल हैं। योजनाओं की सूची अनुबंध-I में दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 27,662.67 करोड़ रुपए (बीई) से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 के दौरान 1,40,416.57 करोड़ रुपए (बीई) कर दिया है।

(घ): किसानों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए विभाग ने सुनियोजित और दीर्घकालिक संरचनात्मक उपाय किए हैं। किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन संबंधी जोखिमों को कम करने और कृषि क्षेत्र की अनुकूलता को सुदृढ़ करने के लिए संस्थागत सहायता का व्यापक विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत, पात्र किसान परिवारों को कृषि इनपुट खरीदने और संबद्ध खर्चों को पूरा करने के लिए 6000 रुपये प्रति वर्ष की आय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान की जाती है। अब तक इस योजना के तहत 23 किस्तों में किसानों को 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। दिनांक 20 जून 2026 को जारी 23वीं किस्त के तहत 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को 18,885.05 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हुआ।

संस्थागत कृषि ऋण वर्ष 2024-25 के दौरान बढ़कर 28.69 लाख करोड़ रुपये हो गया है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से समय पर और पर्याप्त संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन के साथ 3 लाख तक रुपये के फसल ऋण रियायती ब्याज दरों पर उपलब्ध हैं। साथ ही वर्तमान में, 7.81 करोड़ से अधिक सक्रिय केसीसी खाते 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कृषि ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। पिछले 12 वर्षों में, केसीसी ऋणों पर 1.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक की ब्याज सब्सिडी जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध गतिविधियों सहित अल्पकालिक कृषि ऋणों के लिए कोलेटरल मुक्त क्रेडिट सीमा दिनांक 1 जनवरी 2025 से 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.00 लाख रुपये प्रति लाभार्थी कर दी गई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान से महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। पिछले दशक में किसानों को दावों के रूप में 2.02 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

देश भर के लिए सरकार द्वारा 22 अधिसूचित कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाते हैं। यह नीति अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रतिफल सुनिश्चित करती है। वर्ष 2014 से अब तक, किसानों को एमएसपी के तहत लगभग 12819 लाख मीट्रिक टन कृषि उपज की खरीद के माध्यम से 27.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। पीएम-आशा योजना के माध्यम से कृषि उपज की खरीद की सीमा को गेहूं और चावल के अतिरिक्त दलहन, तिलहन और बागवानी उत्पादों तक भी विस्तारित किया गया है।

भारत सरकार ने किसानों को कृषि के प्रत्येक स्तर पर सहयोग देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता से लेकर बाजार तक पहुंच शामिल है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सिंचाई सुविधाएं और फसल बीमा प्रदान किए जाते हैं ताकि कृषि उत्पादकता में सुधार हो और उनकी आय बढ़े। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य दलहन उत्पादन को बढ़ाना है, जिसमें विशेष रूप से तुअर, उड़द और मसूर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जलवायु अनुकूल बीजों के उत्पादन और उपलब्धता को बढ़ावा देना, दलहन की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना और फसलोपरांत भंडारण और प्रबंधन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना भी इसका लक्ष्य है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- तिलहन का उद्देश्य घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता (वर्तमान में लगभग 56%) को कम करना है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – ऑयल पाम का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों (एनईएस) पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देना है ताकि देश खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बन सके। **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन** (**एनएफएसएनएम**) **का उद्देश्य है** क्षेत्रफल विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से श्री अन्न, चावल, गेहूं, मोटे अनाज (मक्का एवं जौ) और वाणिज्यिक फसलों (जूट और गन्ना) के उत्पादन में वृद्धि करना। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकियों पर प्रदर्शन, प्रमाणित बीजों के वितरण, प्रमाणित बीजों के उत्पादन और एकीकृत पोषक तत्व एवं कीट प्रबंधन उपायों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

सरकार सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी स्कीम के माध्यम से उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत, संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड (एसएचसी) जारी किए जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता और कृषि उत्पादकता में सुधार होता है। प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाकर खेत में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। सूक्ष्म सिंचाई न केवल जल संरक्षण करती है बल्कि उर्वरक की खपत, श्रम की आवश्यकता और अन्य इनपुट लागतों को भी कम करती है, जिससे किसानों की उत्पादकता और आय में सुधार होता है। ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) जैसी पहल किसानों को बाजारों से जुड़ने और अपनी उपज को अधिक कुशलता से बेचने में सहायता करती है। सरकार फसलोपरांत नुकसान को कम करने और किसानों की आय में सुधार करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), बेहतर भंडारण सुविधाओं, वेयरहाउस, कोल्ड चेन, परिवहन और खाद्य प्रसंस्करण को भी बढ़ावा देती है।

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) का उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित भंडारण और संरक्षण करने में सक्षम बनाने के लिए फार्म गेट स्टोरेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना है, ताकि वे फसलोपरांत नुकसान को कम करके और बिचौलियों की संख्या को कम करके बेहतर बाजार मूल्य पर उपज बेच सकें। दिनांक 10 जुलाई 2026 तक, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत कुल 2,05,960 कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिसमें 92,570.63 करोड़ रुपए का ऋण और 1,60,023.34 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया गया है। स्वीकृत परियोजनाओं में 51,567 कस्टम हायरिंग सेंटर, 30,808 प्रोसेसिंग सेंटर, 33,718 फार्म ऑटोमेशन यूनिट, 30,742 पीएम-कुसुम (बी और सी) परियोजनाएं, 18,776 वेयरहाउस, 4,533 सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट, 3,065 कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन और 32,751 अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें लॉजिस्टिक्स वाहन, पैक हाउस और राइपनिंग चैंबर आदि शामिल हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहलों के अतिरिक्त, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन विभाग, सहकारिता मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जैसे संबद्ध मंत्रालय/विभाग किसानों की आय बढ़ाने, फसल हानि एवं कृषि संकट को कम करने, कृषि विविधीकरण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन तथा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने, मूल्य श्रृंखलाओं एवं सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करने, कटाई उपरांत प्रबंधन एवं बाजार अवसंरचना में सुधार करने, मूल्य संवर्धन एवं बाजार संपर्क को प्रोत्साहित करने तथा किसानों को लाभकारी प्रतिफल और सतत आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहे हैं।

अनुबंध-।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ एवं कार्यक्रम

1. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)** -पीएम-किसान यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसके तहत पात्र किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

2. **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)** -किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए, सरकार राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य ह्रास भुगतान योजना (पीडीपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के घटकों के साथ पीएम-आशा योजना लागू करती है। पीएसएस के तहत अधिसूचित दलहन, तिलहनों और खोपरा की उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की जाती है, जब भी बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिर जाता है। पीडीपीएस के तहत एमएसपी और आदर्श/बिक्री मूल्य के बीच के भावांतर का भुगतान पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में सीधे किया जाता है, जो एपीएमसी में अपने उचित गुणवत्ता की अधिसूचित तिलहन की बिक्री/व्यापार करते हैं। यह भुगतान पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित अवधि के भीतर किया जाता है। एमआईएस के तहत उन नाशवान प्रकृति की कृषि और बागवानी फसलों की खरीद/कवरेज की जाती है जिनके लिए एमएसपी घोषित नहीं किया गया है।

3. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)** -पीएमएफबीवाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के लिए बुवाई पूर्व से लेकर फसलोपरांत क्षति के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करता है। देशभर के किसानों से बेहद कम प्रीमियम लिया जाता है, जो खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 5% है। शेष प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में साझा की जाती है, पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से) छोड़कर जहां यह 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है।

4. **संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)** -एमआईएसएस एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य किसानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। इस योजना के तहत, किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण प्राप्त होते हैं। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% के अग्रिम ब्याज अनुदान (I) प्रदान किए जाते है। इसके अतिरिक्त, जो किसान समय पर ऋण चुकाते हैं, उन्हें 3% का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) प्राप्त होता है, जिससे ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।

5. **प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई)** -पीएमकेएमवाई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान है, तथापि कुछ अपवाद भी लागू होते हैं। अंशदान राशि किसान की आयु के आधार पर 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह तक होती है। भारत सरकार भी प्रत्येक लाभार्थी के लिए किसान को उतनी ही राशि का योगदान देती है।

6. **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)** –एमआईडीएच के अंतर्गत, आम सहित बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार से संबंधित गतिविधियों के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। रोपण सामग्री का उत्पादन, सब्जी के बीजों का उत्पादन, उन्नत किस्मों से क्षेत्र का आवरण, पुराने बागानों का पुनरुद्धार, संरक्षित खेती, जल संसाधनों का सृजन, एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), एकीकृत

पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम), जैविक खेती, जिसमें जैविक इनपुट का स्थानीय उत्पादन भी शामिल है, जैसी गतिविधियों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है, ताकि फलों और सब्जियों का विकास हो सके। किसानों और तकनीशियनों की क्षमता निर्माण के लिए भी उन्नत तकनीकों को अपनाने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। योजना में उपज की बेहतर कीमत प्राप्त करने के लिए फसलोपरांत प्रबंधन (पीएचएम) और विपणन की व्यवस्था भी शामिल है।

7. **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – ऑयल पाम** - राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – ऑयल पाम - यह मिशन किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री, अंतरफसल खेती के लिए आवश्यक सामग्री, चार वर्ष की विकास अवधि के दौरान रखरखाव और पुराने एवं अनुत्पादक बागानों के पुनर्रोपण में सहायता शामिल है। कृषि मशीनरी और सिंचाई सुविधाओं जैसी अतिरिक्त सामग्रियों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को मूल्य अस्थिरता से बचाने और सुनिश्चित लाभ सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने व्यवहार्यता अंतर भुगतान (वीजीपी) व्यवस्था आरंभ की है, जो किसानों को प्रतिकूल प्राइस शॉक के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान करती है।

8. **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - तिलहन** -एनएमईओ-ओएस का उद्देश्य कृषि संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और निजी भागीदारों को शामिल करते हुए फसल-विशिष्ट समूहों के भीतर अनुसंधान, उन्नत किस्मों और प्रौद्योगिकी प्रसार के माध्यम से लगभग 60% उपज अंतर को कम करके घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ाना है। यह मिशन परती और अंतर्फसली क्षेत्रों में तिलहन के विस्तार को बढ़ावा देता है, बीज पद्धतियों को सुदृढ़ करता है और मूल्य श्रृंखला एकीकरण के माध्यम से बाजार संबंधों को बेहतर बनाता है।

9. **दलहन आत्मनिर्भरता मिशन** – दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए घरेलू उत्पादन को सुदृढ़ करना और आयात पर निर्भरता कम करना है। छह वर्षों की अवधि में ₹11,440 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ, यह मिशन अरहर, उड़द और मसूर के संवर्धन पर विशेष बल देता है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना, खेती के क्षेत्र का विस्तार 35 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करना है - विशेष रूप से धान की परती भूमि में और अंतरफसल प्रणालियों के माध्यम से - लगभग 310 लाख हेक्टेयर तक पहुंचना और बेहतर बीज उपलब्धता, उन्नत कृषि पद्धतियों और सुदृढ़ विस्तार समर्थन के माध्यम से उत्पादकता को 1,130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना है।

10. **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)** – इस मिशन का उद्देश्य कृषि पद्धतियों को सुदृढ़ बनाना है, जिसके लिए वैज्ञानिक रूप से समर्थित एग्रो इकोलॉजिकल दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। इसका लक्ष्य सततता, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना है। किसानों को सरल प्रमाणन प्रणाली और एक विशेष ब्रांडिंग प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने प्राकृतिक कृषि उत्पादों को बाजार में सुगमता से बेच सकें। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एनएमएनएफ के कार्यान्वयन के रियल टाइम में जियो-टैग और संदर्भ के साथ निगरानी की जाती है। मिशन के तहत, प्रति किसान प्रति एकड़ ₹4,000 की उपज आधारित प्रोत्साहन राशि दो वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाती है।

11. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)** –एनएफएसएनएम के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों, नई जारी किस्मों/हाइब्रिडो के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों, फसल सीजन के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण आदि पर प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

12. **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)**- इन क्रियाकलापों में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को अपनाकर परागण के माध्यम से विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने पर बल दिया जाता है, साथ ही मधुमक्खी पालन/मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त उत्पादों के फसलोपरांत प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें संग्रह, प्रोसेसिंग, भंडारण, विपणन, मूल्यसंवर्धन आदि शामिल हैं और इन गतिविधियों के लिए अपेक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास पर भी बल दिया जाता है।

13. **कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)** किसानों के लिए कृषि मशीनरी को अधिक सुगम और किफायती बनाने के प्रयोजनार्थ से, कृषि मशीनरी की खरीद के लिए किसानों की श्रेणी के आधार पर मशीनरी की लागत का 40-50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/छोटे एवं सीमांत किसान/पूर्वोत्तर राज्य के किसान/महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता मशीनरी की लागत का 50% है। किसानों को किराये पर मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, परियोजना लागत के 250 लाख रुपये तक के कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और कृषि मशीनरी बैंकों (एफएमबी) की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 80% वित्तीय सहायता 30 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के लिए एफएमबी और सीएचजी को प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में एफएमबी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की दर परियोजना लागत का 95% है।

14. **कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)** -यह योजना राज्य सरकारों के कृषि विस्तार प्रणाली के पुनरुद्धार और किसानों को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों और उत्तम कृषि पद्धतियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों का समर्थन करती है ताकि विभिन्न विस्तार गतिविधियों जैसे किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर विजिट, किसान मेला, किसान समूहों का जुटाव और कृषि विद्यालयों की स्थापना के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

15. **डिजिटल कृषि मिशन (डीएएम)** -डिजिटल कृषि मिशन ने देश में एक सशक्त डिजिटल कृषि इकोसिस्टम बनाने के लिए एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (कृषि डीएसएस) और भूमि उर्वरता प्रोफाइल जैसे डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के निर्माण की परिकल्पना की है। इसके साथ, किसान-केंद्रित नए डिजिटल सॉल्यूशनों को बढ़ावा दिया जाएगा और सभी किसानों को समय पर और विश्वसनीय फसल संबंधी जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
'भारत-विस्तार (कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वर्चुअल रूप से एकीकृत प्रणाली) एक बहुभाषी एआई उपकरण है जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करने और किसानों को अनुकूलित परामर्शी सहायता प्रदान करके जोखिम को कम करने के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल और आईसीएआर के कृषि पद्धतियों से संबंधित पैकेज को एआई प्रणालियों के साथ एकीकृत करता है।

16. **राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)** एनबीएम का ध्यान मुख्य रूप से बांस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास पर है। इसका उद्देश्य समूह आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए बांस उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ना है। एनबीएम के तहत किसानों, कारीगरों और उद्यमियों को बांस नर्सरी, बांस बागान और प्राइमरी प्रोसेसिंग, उत्पाद प्रबंधन और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी मूल्य श्रृंखला यूनिटों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

17. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर)** -एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत, किसान उत्पादक संगठन के गठन, जैविक इनपुट के लिए किसानों को सहायता आदि हेतु 3 वर्षों में 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि से इतर/कृषि पर जैविक इनपुट के लिए 32,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये शामिल हैं।

18. **सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी योजना** इसका गठन राज्यों को एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए किया गया था, जिसमें द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों का जैविक खाद और जैव उर्वरकों के साथ विवेकपूर्ण उपयोग शामिल है, ताकि सॉयल हेल्थ और उसकी उत्पादकता में सुधार हो सके। राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन और परिचर्चा कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों में सॉयल हेल्थ कार्ड की सिफारिशों के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाती है।

19. **परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)** यह योजना जैविक किसानों को उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, प्रमाणीकरण और विपणन तक संपूर्ण सहायता प्रदान करती है, जो क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) जैविक क्लस्टरों का गठन करना है ताकि

उन्हें आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद मिल सके। पीकेवीवाई के तहत, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये की सहायता किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीएल) के माध्यम से ऑन फार्म और ऑफ फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रदान की जाती है।

20. **प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)** यह योजना सूक्ष्म सिंचाई, विशेष रूप से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से कृषि स्तर पर जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। सरकार छोटे और सीमांत किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियाँ इंस्टॉल करने के लिए 55% और अन्य किसानों को 45% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य सरकारें अपने राज्य बजट से किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए सहायता प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर तक सीमित है।

21. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर)** इस योजना के तहत, राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर अपने व्यय में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के रूप में धनराशि जारी की जाती है। राज्यों को योजनाओं के चयन, योजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में अनुकूलन और स्वायत्तता प्राप्त है, ताकि वे अपनी प्राथमिकताओं और कृषि-जलवायु संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप निवेश कर सकें। वर्ष 2015-16 से, योजना का वित्तपोषण अनुपात केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) है। हालांकि, केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तपोषण पेटर्न 100% केंद्र सरकार द्वारा ही दिया जाता है। इस योजना में नवाचार और कृषि-उद्यमिता कार्यक्रम के लिए भी निधि शामिल है।

22. **फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)** धान की अत्यधिक जल खपत वाली फसल के क्षेत्र को दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर रूख करने के लिए सीडीपी क्रियान्वित की गई थी। सीडीपी के तहत, वैकल्पिक फसल प्रदर्शन, कृषि मशीनीकरण और मूल्यवर्धन वस्तुओं, स्थल-विशिष्ट गतिविधियों और जागरूकता, प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्यों में तंबाकू की फसल को परिवर्तित करने के लिए सीडीपी का विस्तार किया गया था।

23. **वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)** यह योजना उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर केंद्रित है। राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। भूमि के आकार की परवाह किए बिना, आरएडी घटक के तहत प्रत्येक किसान परिवार को उनकी भू-जोत के आकार की परवाह किए बिना 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

24. **राष्ट्रीय मखाना बोर्ड (एनएमबी)** मखाना (फॉक्स नट) क्षेत्र के एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित और 15 सितंबर 2025 को प्रारंभ किए गए इस बोर्ड का उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने, गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता में सुधार करना, फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, मूल्यसंवर्धन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात को सुगम बनाना और प्रशिक्षण एवं विस्तार के माध्यम से किसानों की क्षमता का निर्माण करना है।

25. **एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)**- एआईएफ के अंतर्गत इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि संबंधी परिसंपत्तियों जैसे वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग यूनिट, प्राइमरी प्रोसेसिंग केंद्र, पैक हाउस और अन्य आपूर्ति श्रृंखला इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण दिया जाता है। यह योजना 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 3% प्रति वर्ष की ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी फंड के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करती है।

26. **10,000 नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन और संवर्धन-** देश में "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन के लिए एक स्पष्ट कार्यनीति और समर्पित संसाधनों के साथ परियोजना प्रारंभ की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन करना है। प्रत्येक एफपीओ 3 वर्षों की अवधि के लिए 18.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक एफपीओ सदस्य किसान को 2,000 रुपये तक का इक्विटी अनुदान दिया जाएगा, जिसकी सीमा प्रति एफपीओ 15.00 लाख रुपये है। साथ ही, पात्र ऋणदाता संस्थाओं से प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपये तक के परियोजना ऋण की ऋण गारंटी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि एफपीओ को संस्थागत ऋण की सुविधा मिल सके। एफपीओ के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए भी उचित प्रावधान किए गए हैं।

27. **स्टार्ट-अप एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड (एग्रीश्योर)** -एग्रीश्योर फंड का उद्देश्य कृषि मूल्य श्रृंखला से जुड़े स्टार्टअप्स को सहयोग देना है, जिससे कृषि क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिले और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर तथा पूंजी उपलब्ध कराकर स्टार्टअप्स की वृद्धि को गति दी जा सके। इसके अलावा, यह युवा उद्यमियों और उनके नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। यह पहल कृषि उत्पादों की मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करेगी और कृषि में निवेश बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। साथ ही, यह नई तकनीकों और मशीनरी को अपनाने के लिए बढ़ावा देकर किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों की सहायता करेगी। एसईबीआई द्वारा पंजीकृत श्रेणी II, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के रूप में 750 करोड़ रुपए का मिश्रित पूंजी फंड बनाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार का योगदान 250 करोड़ रुपए, नाबार्ड का 250 करोड़ रुपए है और बैंकों, बीमा कंपनियों और निजी निवेशकों से ₹250 करोड़ जुटाए जा रहे हैं।

28. **एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)** -आईएसएएम, बाजार संरचनाओं के निर्माण और सुधार, क्षमता निर्माण और बाजार संबंधी जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के माध्यम से कृषि उपज विपणन के संचालन में राज्य सरकारों की सहायता करता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, महिला/अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के प्रमोटरों, पीएसीएस और एफपीओ आदि के लिए 33.33% और अन्य के लिए 25% की सब्सिडी उपलब्ध है।

29. **प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई)** -इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाते हुए सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को लक्षित करना है, जिसमें 11 विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं, राज्य योजनाओं और निजी भागीदारी के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि डीडीकेवाई जिलों में उत्पादकता में सुधार किया जा सके।

30. **कृषि वानिकी**- यह योजना कार्यान्वयन के लिए सरकारी एजेंसियों को 100% वित्तीय सहायता और निजी एजेंसियों, निजी किसानों और उद्यमियों को नर्सरी स्थापित करने और पौध उगाने के लिए 50% सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य किसानों की तकनीकी क्षमता को सुदृढ़ करना, उन्नत कृषि वानिकी मॉडल को अपनाने को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री एवं उन्नत कृषि पद्धतियों के उपयोग के माध्यम से किसानों की उत्पादकता और आय को बढ़ावा देना है।

*****